L. A. BILL No. VIII OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA (URBAN AREAS) PROTECTION AND PRESERVATION OF TREES ACT, 1975.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ८ सन् २०२१।

महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

सन् १९७५ का महा. ४४।

और क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण तथा परिरक्षण अधिनियम, १९७५ में संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

(शा.म.मु.) एचबी ४३४—१ (५०—६-२०२१)

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों)) वृक्षों का संरक्षण तथा परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए ।

सन् १९७५ का महा. ४४ की धारा २ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र वृक्षों का संरक्षण (नगरीय क्षत्रों) तथा परिरक्षण अधिनियम, १९७५ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ का,— सन् १९७५ का महा. ४४ ।

(१) खण्ड (१क), खण्ड (१कक) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जायेगा ;

(२) इसी प्रकार पुनःक्रमांकित खण्ड (१कक) के पूर्व, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(१क) "पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष" का तात्पर्य, सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके ऐसे मानदण्डों के अनुसरण में, वृक्ष प्राधिकरण द्वारा उसी रूप में वर्गीकृत वृक्ष से हैं ;"।

सन् १९७५ का महा. ४४ की धारा ३ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

(१) उप-धारा (१) के पूर्व, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(क-१) महाराष्ट्र वृक्षों का संरक्षण (नगरीय क्षेत्रों) तथा परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, सरकार के सचिव से अनिम्न श्रेणी के पदधारियों से मिलकर महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण का गठन करेगी ।"; सन् २०२१ का महा.।

(२) उप-धारा (२) की, तालिका की प्रविष्टि २, के स्तंभ (२) में, "परिषद के अध्यक्ष" शब्दों के स्थान में, "परिषद के मुख्य अधिकारी" शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (३) में, "गैर सरकारी संघटनों के प्रतिनिधियों, जिनको वृक्षारोपण करने और वृक्षों के परिरक्षण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या प्रयोगात्मक अनुभव है," शब्दों के स्थान में, "सरकार द्वारा समय-समय पर, जैसा कि अधिसूचित किया जाऐ ऐसे न्यूनतम अवधि के लिए वृक्षारोपण, परिरक्षण और संरक्षण में अनुभव होनेवाले सेवानिवृत्त सरकारी पदधारियों समेत गैर सरकारी संघटनों से विशेषज्ञों" शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९७५ का महा. ४४ में नई धारा ६ क का निवेशन ।

४. मूल अधिनियम के अध्याय चार की धारा ७ के पूर्व, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण के कर्तव्य ।

"६क. सुसंगत अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में और राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी विशेष या सामान्य निदेशनों के अध्यधीन अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण,—

(एक) वृक्ष प्राधिकरण के कार्यों को मानीटर करना ;

(दो) संपूर्ण राज्य के पुरातन (हेरीटेज) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण करना ;

(तीन) पाँच वर्ष या अधिक के आयु के दो सौ से अधिक वृक्षों को काटने से संबंधित वृक्ष प्राधिकरण द्वारा उसे निर्देशित किए गऐ आवेदनों को विनिश्चित करना ;

(चार) पुरातन (हेरीटेज) वृक्षों को काटने से संबंधित वृक्ष प्राधिकरण द्वारा उसे निर्देशित आवेदनों को विनिश्चित करना ;

(पाँच) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण से संबंधित किसी अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा ।"।

५. मूल अधिनियम की धारा ७ के,— सन् १९७५ का महा. ४४ की धारा ७ में संशोधन ।

(१) खण्ड (ख) में, "प्रत्येक पाँच वर्षों" शब्दों के पश्चात्, "नवीन प्रौद्योगिकी का तात्पर्य, जैसा कि भौगोलिक जानकारी प्रणाली (GIS) आधारित वृक्ष गणना या कोई अन्य आधुनिक प्रौद्योगिक के प्रयोग द्वारा" शब्द जोडे जायेंगे ;

(२) खण्ड (झ) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखे जायेंगे, अर्थात् :—

(झ) एक ही किस्म के वृक्ष या कोई अन्य स्थानीय, या देशी किस्म के पौधे रोपनेवाले वृक्षों की आयु के बराबर हैं और ऐसा वृक्षारोपण केवल विशेषज्ञ मार्गदर्शन के आधार पर किया जायेगा ;

(ञ) नगरीय स्थानीय प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर सभी भूमि में प्रतिपूरक वृक्षारोपण समेत यह सुनिश्चित करना कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण करना और वृक्षों का अस्तित्व बचाए रखना है ;

(ट) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए वृक्ष उपकर का उपयोग सुनिश्चित करना ;

(ठ) महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण द्वारा समय समय पर, जैसा कि समनुदेशित कोई अन्य गतिविधि कार्यान्वित करना ;

(ड) कौन-सा वृक्ष पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष के रूप में वर्गीकृत करना यह विनिश्चित करना, और पुरातन (हेरीटेज) वृक्षों की गणना करना ;

(ढ) यह सुनिश्चित करना कि, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व भूमि या सरकार द्वारा स्वामित्व भूमि वृक्षारोपण के प्रयोजनों के लिए अलग रखी है और ऐसा वृक्षारोपण प्रकृति में वैज्ञानिक रूप में होगा और स्थानीय प्रजाति का परिरक्षण करने और ३३ प्रतिशत से कम न हो क्षेत्र को बढ़ाकर हरित आवरण में सुधार करने के उद्देश्य के साथ कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ण) प्रत्येक वर्ष वृक्षों की छँटाई और रखरखाव वैज्ञानिक रीत्या कार्यान्वित हो रहा है यह सुनिश्चित करना ;

(त) यह सुनिश्चित करना कि, प्राकृतिक रुप से गिर गए प्रत्येक वृक्षों का नगरीय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण करना ;

(थ) इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य योजना या उपाय हाथ में लेना ।"।

६. मूल अधिनियम की धारा ८ की,— सन् १९७५ का महा. ४४ की धारा ८ में संशोधन ।

(१) उप-धारा (२) में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, जहाँ महत्त्वपूर्ण संख्या में वृक्ष गिराया जाना प्रस्तावित है वहाँ, संबंधित डिजाईन के लिए गिराए जानेवाले आवश्यक वृक्षों की संख्या के साथ वैकल्पिक डिजाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा ।";

(२) उप धारा (३) के,—

(क) खण्ड (क) के,—

(एक) उप-खण्ड (तीन) में, "और" शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) उप-खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

"(पाँच) यदि गिराया जानेवाला वृक्ष पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष है तो विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लिखित करना ; और

(छह) काटे जानेवाले वृक्षों की आयु सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया जाए, ऐसी मानदंड और पद्धति के अनुसार निर्धारित करना ।";

(ख) खण्ड (क-१) के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, जहाँ पर पाँच वर्ष या अधिक आयु के दो सौ से अधिक वृक्ष काटा जाना प्रस्तावित है, तो ऐसे मामले में, वृक्ष प्राधिकरण उसके प्रतिवेदन और सिफारिशों के साथ मामला महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण को निर्देशित करेगा :

परंतु यह और भी कि, जहाँ काटे जाने के लिए प्रस्तावित वृक्ष पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष है, तो ऐसे मामले में, वृक्ष प्राधिकरण या, यथास्थिति, वृक्ष अधिकारी उसके प्रतिवेदन और सिफारिशों के साथ मामला महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण को निर्देशित करेगा :

परंतु यह और भी कि, वृक्ष प्राधिकरण या, यथास्थिति, वृक्ष अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि, भूमि का विकास या कोई अन्य परियोजना छोटे हिस्सों में उप-विभाजित नहीं है ताकि, काटे जानेवाले वृक्षों की संख्या दो सौ के नीचे रखी जा सकें ।";

(३) उप-धारा (४) निम्न परंतुक जोडा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, इस उप-धारा के उपबंध, पुरातन (हेरीटेज) वृक्षों को काटने के मामले में लागू नही होंगे ।";

(४) उप-धारा (५) में,—

(क) उप-धारा (५), खण्ड (क) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी ;

(ख) इस प्रकार पुनःक्रमांकित खण्ड (क) मे, "आवेदक, काटे जानेवाले वृक्षों की संख्या के दुगना वृक्षारोपण करेगा " शब्दों के स्थान में, आवेदक, काटे जानेवाले वृक्ष की प्राक्कलित आयु के समान ऐसे वृक्षों की संख्या का वृक्षारोपण करेगा और वृक्षारोपण किए जानेवाले ऐसे वृक्ष कम से कम छह फिट उँचाई के होंगे", शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) खण्ड (क) के पश्चात्, इस प्रकार पुनःक्रमांकित रुप में निम्न खण्ड, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(ख) वृक्ष अधिकारी, वृक्षारोपण किए जानेवाले वृक्षों की आयु, सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया जाए, ऐसे मानदण्ड और पद्धति के अनुसार निर्धारित करेगा ।";

(५) उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(५क) आवेदक और वृक्ष प्राधिकरण या वृक्ष अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि, प्रतिपूरक वृक्षारोपण करेगा और रोपित वृक्ष सात वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए जीवित रहेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि, इस अवधि के दौरान वृक्ष मृत्युता के समान नवीन वृक्षों की संख्या के वृक्षारोपण द्वारा प्रतिपूरक करेगा :

परंतु, ऐसा प्रतिपूरक वृक्षारोपण करना आवेदक के लिए संभव नहीं है, के मामले में, आवेदक काटे जानेवाले वृक्षों के मूल्यांकन से कम किसी रकम का निक्षेप करेगा। ऐसा मूल्यांकन, सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया जाए वर्गीकरण पर आधारित होगा :

परंतु यह और भी कि, निक्षेपित रकम इस अवधि के दौरान वृक्ष मृत्युता के बदले में केवल प्रतिपूरक वृक्षारोपण, उसके परिरक्षण और प्रतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जाएगी ।

(५ख) (क) वृक्ष प्राधिकरण, पाँच या अधिक वर्ष की आयु के दो सौ से अधिक वृक्ष के गिराने के लिए प्राप्त आवेदन महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण को निर्देशित करेगा ।"

(ख) वृक्ष प्राधिकरण या, यथास्थिति, वृक्ष अधिकारी, पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष काटने के आवेदन के महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण को निर्देशित करेगा ।

(ग) महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण, वृक्ष प्राधिकारी या, यथास्थिति, वृक्ष अधिकारी द्वारा खण्ड (क) और (ख) अधीन उसे निर्देशित आवेदन को शर्तों के साथ या शर्तों के बिना या तो अनुमति देगा या वृक्ष प्राधिकारी या, यथास्थिति, वृक्ष अधिकारी से संदर्भ की प्राप्ति के दिनांक से पैंतालिस दिनों कि अवधि के भीतर उसे नामंजूर कर सकेगा ।

(घ) जहाँ महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण ने वृक्ष को काटने की अनुमति दे दी है, वहाँ वृक्ष प्राधिकारी यदि विचार करता है कि, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण के निर्णय का पुनरीक्षण करना आवश्यक है, तो वह निर्णय के संसूचना के दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण को उसके कारणों के साथ विनिर्णय पर विचार करने का अनुरोध कर सकेगा । तत्पश्चात्, दस दिनों के भीतर महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण द्वारा ऐसे अनुरोध पर विनिर्णय लिया जायेगा :

(५ग) उप-धारा (५) के अधीन वृक्ष काटने की अनुदत्त मंजूरी के बदले में, नया वृक्षारोपण भू-चिन्हांकित और उपलब्ध नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग करके मानीटर किया जायेगा ।"।

७. मूल अधिनियम की धारा १८ की, उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९७५ का महा. ४४ की धारा १८ में संशोधन ।

"(३) इस धारा के उपबंधों के अधीन संग्रहित वृक्ष उपकर, समय-समय पर, सरकार द्वारा जैसा कि निदेशित किया जाए, ऐसी रीत्या में नगरीय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लाया जायेगा ।

(४) राज्य सरकार, विद्यमान हरित आवेष्टित क्षेत्र का और वृक्षों का परिरक्षण और संरक्षण करने के लिए क्षेत्र की आवश्यकता के निर्धारण को ध्यान में रखकर विभिन्न नगरीय स्थानीय प्राधिकरण के लिए निदेशन जारी कर सकेगी और विभिन्न मानदंड निर्धारित कर सकेगी ।"।

८. मूल अधिनियम की धारा २१ की, उप-धारा (१) में, "एक हजार रुपयों से कम न हो जिसे पाँच हजार रुपयों तक बढाया जा सकेगा" शब्दों के स्थान में, "सरकार द्वारा जैसा अधिसूचित किया जाए ऐसे उपयोगी वर्गीकरण से वृक्ष के मूल्यांकन के लिए एक लाख रुपयों से अनधिक कोई रकम" शब्द रखे जायेंगे । सन् १९७५ का महा. ४४ की धारा २१ में संशोधन ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ (सन् १९७५ का महा. ४४) राज्य में, नगरीय क्षेत्रों में, वृक्षों को काटने, विनियमित करने और उन क्षेत्रों में नए वृक्षों का पर्याप्त संख्या में वृक्षरोपण करने के उपबंध द्वारा वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण करने के प्रयोजन के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. अभी तक ऐसे क्षेत्रों में शहरीकरण, औद्योगिकरण और विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं का द्रुतगति से निष्पादन होने में निरंतर बढ़ावा मिलने के कारण राज्य के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में बडे पैमाने पर वृक्षों को अंधाधुंद रूप से काटा जाता है। इसलिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में वृक्षों को बडे पैमाने पर काटने के लिये नियंत्रण लाने, न्यूनतम करने और विनियमित करने की तत्काल जरूरत है।

३. वृक्षों की कटाई करना पर्यावरण के लिए बड़ा हानिकारक हो रहा है, इसलिए, हानिकारण को रोकने, पर्यावरण को बचाए रखने, पुरातन (हेरीटेज) वृक्षों के वृक्षारोपण के अधिकाधिक संरक्षण की सुनिश्चिति करने, पर्याप्त संख्या में वृक्षों का परिरक्षण करने और शहरी क्षेत्रों के हरित आवरण में बढोत्तरी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा २, ३, ७, ८, १८ और २१ में यथोचित संशोधन करना और उसमें नई धारा ६क का निवेशन करना प्रस्तावित है।

४. प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :—

(क) "पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष" के संरक्षण के लिये उपबंध करना ;

(ख) महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण के गठन का और उसके कर्तव्यों का उपबंध करना ;

(ग) विद्यमान वृक्षों की गणना करने के लिए नई तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी संबंधी साधनों के उपयोग का उपबंध करना ;

(घ) वृक्षारोपण की संख्या, वृक्षों के अस्तित्व का सुनिश्चय, वृक्ष उपकर का उचित उपयोग, वैज्ञानिक और प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उसके रखरखाव से संबंधित वृक्ष प्राधिकरणों पर विभिन्न अतिरिक्त कर्तव्यों को प्रदान करना ;

(ङ) वृक्षों की कटाई करने से रोकने और पर्याप्त प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने के लिए अधिक ब्यौरेवार प्रक्रिया का उपबंध करना ;

(च) संग्रहित वृक्ष उपकर का उचित उपयोग करने के लिए उपबंध करना ;

(छ) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में, काटनेवाले वृक्षों के लिये शास्ति में बढोत्तरी करने के लिए उपबंध करना।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २८ जून, २०२१।

आदित्य ठाकरे,
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए, निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात्,—

खण्ड २.—इस खण्ड के अधीन, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा २ में " पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष " पद की परिभाषा निविष्ट करना आशयित है, जिसे वृक्ष प्राधिकरण द्वारा पुरातन (हेरीटेज) वृक्ष के रुप में किसी वृक्ष के वर्गीकरण करने के मानक अधिसूचित करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खण्ड ३.—(क) उप-खण्ड (१) के अधीन, जिसका आशय, उक्त अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (क-१) निविष्ट करना है, जिसे सरकार के सचिव से अनिम्न श्रेणी के अधिकारियों से मिलकर बननेवाले महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण को गठित करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

(ख) उप-खण्ड (३) के अधीन, जिसका आशय, उक्त अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा (३) संशोधित करना है जिसके लिए प्रत्येक वृक्ष प्राधिकरण वृक्षों के वृक्षारोपण, परिसंरक्षण और संरक्षण में अनुभव के साथ सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों समेत गैर शासकीय संघटनों से विशेषज्ञ नामनिर्देशित कर सकने की न्यूनतम अवधि अधिसूचित करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है ;

खण्ड ६.—(क) उप-खण्ड (२) (क) (दो) के अधीन, जिसका आशय, उक्त अधिनियम की धारा ८ की, उप-धारा (३) के खण्ड (क) में उप-खण्ड (छह) निविष्ट करना है, जिसमें काटे जानेवाले वृक्ष की आयु निर्धारित करने के मानक और पद्धति अधिसूचित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है ;

(ख) उप-खण्ड (४) (ग) के अधीन, जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा ८ की उप-धारा (५) में खण्ड (ख) निविष्ट करना है, जिसमें वृक्ष की आयु निर्धारित करने के मानदण्ड और पद्धति अधिसूचित करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

(ग) उप-खण्ड (५) के अधीन, जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा ८ में, उप-धारा (५क) निविष्ट करना है, जिसमें प्रथम परंतुक में जिसे काटे जानेवाले वृक्षों के मूल्यांकन का वर्गिकरण अधिसूचित करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की है।

खण्ड ८.——इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय, उक्त अधिनियम की धारा २१ की उप-धारा (१) का संशोधन करना है, जिसमें काटे जानेवाले वृक्ष के मूल्यांकन निर्धारित करनेवाला वर्गीकरण अधिसूचित करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए, उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है ।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित ३० जून, २०२१ ।

राजेन्द्र भागवत,
सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई